एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

धान किस्म बासमती (1121) विक्रय करने हेतु नीलामी प्रपत्र

वर्ष 2022–23

नीलामी दिनांक :- **28-12-2022**

समय :- दोपहर 02:00 बजे

स्थान :- यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई जिला- होशंगाबाद

धान किस्म बासमती (1121) के विक्रय हेतु नीलामी प्रपत्र

मेसर्स / श्री ....

नीलामी प्रपत्र के मूल्य हेतु (नॉन रिफण्डेवल) राशि रूपये 1000/-(रूपये एक हजार मात्र) मनी रसीद क्रमांक.............................. दिनांक .... से प्राप्त किये गये।

नीलामी प्रपत्र क्रय करने की निर्धारित समय सीमा-	**28.12.2022 अपरान्ह 12.00 बजे तक**
नीलामी प्रपत्र यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई में जमा करने की अंतिम तिथि-	**दिनांक 28.12.2022 अपरान्ह 2.00 बजे तक**
नीलामी का समय -	**दिनांक 28.12.2022 को अपरान्ह 2.00 बजे से**

प्रबंधक (बाबई)

एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल
Email : mpagrohobpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305
CIN NO-UO1119mp1969GC001055

कमांक / मुख्या / बाबई–44 / 2022 /

दिनांक

धान किस्म बासमती (1121) के विकय हेतु नीलामी सूचना

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई, जिला होशंगाबाद में उपलब्ध 1086.05 क्विंटल धान किस्म बासमती (1121) के विकय हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दि. 28.12.2022 अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईट **www.mpagro.org** पर उपलब्ध है। नीलामी सूचना में कोई संशोधन / परिवर्तन किये जाने की दशा में सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए निगम की वेबसाईट पर ही दी जायेगी।

प्रबंधक (बाबई)

M P AGRO

एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

क./मुख्या/बाबई –44/2022/ दिनांक

धान किस्म बासमती (1121) के विक्रय हेतु नीलामी सूचना

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई, जिला होशंगाबाद में वर्ष 2022 में उत्पादित धान किस्म बासमती 1121 अनुमानित मात्रा 1086.05 क्विंटल धान ''जहां है जैसा है'' के आधार पर नीलामी हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। नीलामी प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.12..2022 अपरान्ह 2.00 बजे तक है। विक्रय किये जाने वाले धान के नमूने का निरीक्षण निगम मुख्यालय अथवा कृषि प्रक्षेत्र, बाबई में किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर उपलब्ध है। नीलामी की सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए निगम की वेबसाईट पर ही दी जायेगी ।

प्रबंधक (बाबई)

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ, एवं लेख है कि अपने क्षेत्र के व्यापारियों से सम्पर्क कर नीलामी में भाग लेने हेतु प्रेरित करें।
2. प्रभारी, यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई की ओर सूचनार्थ, एवं लेख है कि वे प्रक्षेत्र के आसपास के व्यापारियों को नीलामी से अवगत कराते हुये नीलामी में भाग लेने हेतु प्रेरित करें एवं निर्धारित मूल्य पर संलग्न नीलामी प्रपत्र उपलब्ध करायें।
3. इन्चार्ज, कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं लेख है कि नीलामी की सूचना से संबंधित समस्त प्रपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करें।

प्रबंधक (बाबई)

M P AGRO

एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

धान किस्म बासमती (1121) हेतु संकल्प धनराशि का विवरण

निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र ,बाबई जिला, होशंगाबाद में धान की नीलामी हेतु निर्धारित प्रपत्र में संकल्प धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:–

कं	खाद्यान्न का नाम	किस्म	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	निर्धारित संकल्प धनराशि रू.	बैंक का नाम	बैंक ड्राफ्ट क./दि.	राशि
1	धान	बासमती 1121	1086.05	1.00 लाख			

नोटः– उपरोक्त विवरण के अनुसार बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करें । चैक किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. नाम..
2. पता..
3. दूरभाष कमांक...
4. मण्डी लाईसेंस...
5. पेन नं..
6. टिन नं...
7. बैक का नाम एवं पता..
8. बैंक खाता क..
9. आईएफएससी कोड...
10.जीएसटी नं..

M P AGRO

एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com Phone No (0755)- 2761392, FAX: (0755) 2557305

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

धान किस्म बासमती (1121) के विक्रय हेतु आमंत्रित नीलामी की शर्ते

1. नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले धान को "खाद्यान्न" लिखा गया है ।
2. विक्रय की जाने वाली "खाद्यान्न" के नमूनें निर्धारित दिनांक 28.12.2022 को प्रातः 11.30 बजे तक देखे जा सकते हैं।
3. इच्छुक केता आवेदन (नीलामी प्रपत्र) एवं संकल्प धन बैंक ड्राफट के माध्यम से निगम के प्रक्षेत्र कार्यालय माखन नगर (बाबई) के पक्ष में राशि 1,00,000.00 (एक लाख मात्र) जमा करने के उपरान्त ही दिनांक 28.12.2022 अपरान्ह 2.00 बजे प्रक्षेत्र कार्यालय माखन नगर (बाबई) में उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकेगा। नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाले आवेदक के पक्ष में विक्रय आदेश जारी किया जावेगा।
4. विक्रय की जाने वाली "खाद्यान्न" पर लगने वाले सभी प्रकार के टेक्स, एवं कृषि उपज मंडी बाबई के अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने, चुंगी इत्यादि के लिए इच्छुक केता उत्तरदायी रहेंगें। निगम को दी गई नीलामी दर में उपरोक्त सभी राशियां सम्मिलित नहीं मानी जाएंगीं।
5. बिना संकल्प धनराशि के कोई भी केता नीलामी में सम्मिलित नहीं होगा। **संकल्प धनराशि रू. 1.00 लाख का बैक ड्राफ्ट के रूप में जो "एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो.लिमि"के नाम से माखन नगर (बाबई) देय हो, प्रक्षेत्र कार्यालय बाबई की जमा रसीद नीलामी से पूर्व प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है।**
6. किसी भी नीलामी दर को पूर्णतः/आंशिक रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा।
7. समस्त खाद्यान्न निगम के यांत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र, बाबई, जिला होशंगाबाद में उपलब्ध है। केता को खाद्यान्न का पूर्ण स्कन्ध प्रक्षेत्र से अपने स्वयं के व्यय पर स्वयं उठाना होगा।
8. विक्रय किये जाने वाले खाद्यान्न **"जहां है जैसी है"** के आधार पर प्रदाय किया जायेगा।
9. नीलामी में सम्मिलित होने का अर्थ यह होगा कि नीलामी इच्छुक केता द्वारा विक्रय की जाने वाली "खाद्यान्न" के नमूनों को देख लिया है तथा निगम द्वारा निर्धारित शर्तो से सहमत होकर नीलामी में बोली दर प्रति क्विंटल के अनुसार लगायी जावेगी।
10. दर स्वीकृति की जानकारी/प्रति प्रस्तावित दर (यदि निगम द्वारा आवश्यक समझा जायेगा) बोलीकर्ता को लिखित में दी जाएगी । दर स्वीकृति की दिनांक से 07 दिवस के अंदर, संबंधित अनुमोदित बोलीकर्ता द्वारा दी गई दर के आधार पर कुल खाद्यान्न की समपूर्ण देय राशि का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफट जो **एम.पी.स्टेट एग्रो इन्ड.डेव्ह.कार्पो. लि. के नाम से बाबई** में देय होगा अथवा निगम के खाता क. 6937001800000017, पंजाब नेशनल बैंक प्रक्षेत्र प्रभारी, बाबई से लिखित अनुमति प्राप्त कर नगद जमा कराना होगा। राशि प्राप्त होने के पश्चात ही प्रक्षेत्र प्रभारी आदेशित खाद्यान्न को उठाने की अनुमति देगें।
11. नीलामी में जो मात्रा उल्लेखित की गई है, वह अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन .संभव है तथा निविदाकार को निगम के निर्देशानुसार पूर्ण स्कन्ध कय करना बंधनकारी होगा ।
12. उपलब्ध "खाद्यान्न" के अंतिम लाट को प्राप्त करते समय जमा की गई संकल्प धनराशि को खाद्यान्न के मूल्य से समायोजित किया जा सकेगा ।

13. यदि अनुमोदित बोलीकर्ता द्वारा निगम की लिखित सूचना पत्र के दिनांक से 07 दिवस के अंदर खाद्यान्न मूल्य के 10 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई जाती है तो ऐसे अनुमोदित बोलीकर्ता द्वारा जमा संकल्प धनराशि को निगम द्वारा जप्त कर, उनके द्वारा प्रस्तुत दर को निरस्त किया जा सकेगा।

14. अनुमोदित बोलीकर्ता जिनकी दर प्रस्ताव मान्य कर लिया गया है तथा जिनके द्वारा उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत राशि जमा कर दी है, उन्हे उस दिनांक से 21 दिवस में सम्पूर्ण खाद्यान्न आवश्यक रूप से उठाना होगा । अनुमोदित बोलीकर्ता जिस दिन जितना स्कन्ध उठायेंगे, उसकी पूर्ण राशि निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी के पास जमा करायेंगें एवं राशि प्राप्त होने के पश्चात ही निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी, बाबई खाद्यान्न उठाने की अनुमति देंगें ।

15 यदि नियत दिनांक तक अनुमोदित बोलीकर्ता द्वारा सम्पूर्ण आदेशित खाद्यान्न नहीं उठाया जाता है तो ऐसी दशा में निगम को अधिकार होगा कि वे अपने स्तर पर प्रकिया का निर्धारण कर शेष खाद्यान्न को विक्रय कर दें । यदि इस प्रकिया में निगम को किसी भी प्रकार की हानि होती है, तो उसका उत्तरदायित्व अनुमोदित बोलीकार का होगा एवं निगम को हुई हानि की वसूली अनुमोदित बोलीकार द्वारा जमा की गई 10 प्रतिशत राशि में से भी की जा सकेगी, जिस पर बोलीकार को आपत्ति लेने का अधिकार नहीं होगा ।

16. विक्रय हेतु निर्धारित शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा। दर स्वीकृति पत्र जारी करने के पश्चात राशि को जमा करने की अवधि में यदि कोई अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे निगम के प्रबंध संचालक संतुष्ट होते हैं, तो वह समय सीमा में परिवर्तन कर सकेगें , परन्तु ऐसा करना उनके लिये बंधनकारी नहीं होगा। निगम के प्रबंध संचालक द्वारा इस संबंध में लिये गये निर्णय के कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।

17. बारदाना बदलना, परिवहन, ट्रक पर चढाई इत्यादि के समस्त व्यय अनुमोदित बोलीकर्ता द्वारा वहन किये जाऐगे । विक्रय की जाने वाली सामग्री की तुलाई निगम के प्रक्षेत्र प्रभारी बाबई या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष अनुमोदित बोलीकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष करवाई जाएगी । तुलाई का समस्त व्यय बोलीकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा । निगम द्वारा कोई बारदाना प्रदाय नहीं किया जाएगा ।

18. जिस फर्म/व्यक्ति द्वारा दिया गया बोलीदर प्रस्ताव मान्य किया गया है, उसी के नाम से निगम द्वारा देयक जारी किये जाएगे ।

19. विक्रय किये जाने वाले खाद्यान्न का आधार मूल्य निगम द्वारा निर्धारित किया जावेगा। जिसकी सूचना नीलामी दिनांक से 02 दिवस पूर्व निगम की बेवसाईट पर दर्शित किया जाएगा। समाचार पत्रों में आधार मूल्य के संबंध में अलग से कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जाएगी। न्यूनतम आधार मूल्य से ही नीलामी की प्रकिया प्रांरभ की जाएगी।

20. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण निगम के प्रबंधक (बाबई) को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रबंधक (बाबई) के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाएगा, जो आर्बीट्रेटर के रूप में निर्णय देगें । आर्बीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में न्याय क्षेत्र भोपाल जिले के लिये निर्धारित न्यायालय होगा।

प्रबंधक (बाबई)
मुख्यालय, भोपाल